

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | |
|--|--|
| 1. आवास आयुक्ता,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ। | 2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। |
| 3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। | |

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-३

लखनऊ दिनांक ०८ जून, २०१८

विषय: औद्योगिक भूखण्डों हेतु भू-आच्छादन एवं तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ०ए०आर०) का पुनर्निर्धारण किये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अयगत कराना है कि उद्यम की स्थापना एवं विस्तारीकरण के लिए पर्याप्त भूमि की व्यवस्था उसकी पहली आवश्यकता है। अतः वर्तमान में लागू एफ०ए०आर० कम लाभप्रद हो जाने के परिणामस्वरूप इस हेतु उद्यमियों द्वारा एफ०ए०आर० को बढ़ाये जाने की निरन्तर मांग की जाती रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुए उद्यमों को प्रोत्साहित करने, इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजन किये जाने ये प्रदेश में पूँजी निवेश को आकर्षित करने के दृष्टिगत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-२२/२०१७/८६९/१८-२०१७-८०(ल.उ.)/२०१७, दिनांक १५.१२.२०१७ द्वारा उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा नियांत्रित प्रोत्साहन नीति-२०१७ प्रख्यापित की गयी है। नीति के बिन्दु सं.-५.१.२ में भूमि की उपलब्धता हेतु एफ०ए०आर० बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-२ द्वारा निर्गत पत्र संख्या-०९५/१८-२-२०१८-८०(ल.उ.)/२०१८ दिनांक ३०.०१.२०१८ के माध्यम से औद्योगिक भूखण्डों हेतु भू-आच्छादन एवं तल क्षेत्र अनुपात (एफ०ए०आर०) का पुनर्निर्धारण किये जाने के संबंध में शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

२- इस संबंध में मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) के प्रस्तर-३.५.१ के वर्तमान प्राविधान को एतद्वारा निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

प्रस्तर	वर्तमान प्राविधान				प्रस्तावित संशोधन			
	७. औद्योगिक				७. औद्योगिक			
३.५.१.	(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र भू-आच्छादन एफ०ए०आर०	भू-आच्छादन	एफ०ए०आर०		(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमी.)	भू-आच्छादन	एफ०ए०आर०	
	● १०० तक	६०	१.२०		(i) १००० तक	६०	१.५०	
	● १०१-४५०	६०	१.२०		(ii) १००१-१२००० तक	६०	१.३०	
	● ४५१-२०००	५५	१.००		(iii) १२००० से अधिक	५५	१.००	
	● २००१-१२,०००	५५	०.९०		(iv) नए/अविकसित क्षेत्र			
	● १२००१-२०,०००	५०	०.८५		● पलैटेड फैक्ट्रीज	५०	१.५०	
	● २०,००० से अधिक	५०	०.८०		● सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमी.)			
	(ख) नए/अविकसित क्षेत्र				(i) १००० तक	६०	१.५०	
	● पलैटेड फैक्ट्रीज	५०	१.५०		(ii) १००१-१२००० तक	६०	१.३०	
	● लघु एवं हल्के उद्योग	६०	१.००		(iii) १२००० से अधिक	५५	१.००	
	● वृहद उद्योग	४०	०.८०		● वृहद उद्योग	४०	०.८०	

कृपया उक्त के संबंध में प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अंगीकार करने का कष्ट करें।

मवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन हेतु आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को इस आशय से प्रेषित कि परिषद बोर्ड में उक्त संशोधन पर विचार कर अंगीकार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त सम्बन्धित को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) की प्रतियों उन्हें उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
4. सलाहकार नियोजन, आवास बन्धु, उ०प्र० लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमिताभ प्रकाश)
विशेष सचिव।